विचार बिन्दु

जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद

राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉण्ड के चक्रव्यूह में

भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में आम चुनावों में पब्लिक फण्डिंग होता है; किन्तु हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश का संविधान अभूतपूर्व है और समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 व 14 की व्याख्या की सीमा को जनहित में सुप्रीम कोर्ट ने मुखरित किया है, नये पर दिये हैं। अनुच्छेद 21 के द्वारा जनता को गरिमा मय जीवन का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 21 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कार्य में ध्जहहो की बात की है। जनता को जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों के पास चुनाव का पैसा कहां से आ रहा है। सरकार के प्रत्येक कार्य के बाबत, जिससे नागरिक के जीने का अधिकार कुण्ठित होता है, उसके भेद को जानने का उसका अधिकार है। आरटीआई एक्ट इसी उद्देश्य लाया गया था। आरटीआई एक्ट का उद्देश्य है कि सरकार का प्रत्येक फैसला व कार्य खुली किताब की तरह हो, उसकी पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करायें। आरटीआई का ही नतीजा था कि चुनाव में खडे होने वाले उम्मीदवार को अपने व चरित्र और अपनी सम्पत्ति के बाबत पूरा विवरण देना आवश्यक माना गया है। एक व्यक्ति ने आरटीआई में सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि न्यायालय के जजों को भी उनकी सम्पत्ति उजागर कराई जावे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर दिया कि न्यायालय पब्लिक संस्था है उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस उत्तर की अपील की गई, अपेलेट ऑथोरिटी ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी सम्पत्ति का विवरण देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है, और अपेलेट ऑथोरिटी के फैसले को सही करार दिया। हमारे देश को कानून की व्यवस्था की विलक्षणता को देखिये सुप्रीम कोर्ट को भी एवं साधारण नागरिक के रूप में अपनी ही कोर्ट में फरीक बनकर अपील करनी पडी और फैसला दिया कि न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सम्पत्ति का विवरण देवें। इलेक्टोरल बॉण्ड के कानून को असंवैधानिक करार देने का ऐतिहासिक निर्णय इसी आरटीआई कानून के आधार पर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियां बतायें कि चुनावों में खर्च होने वाला पैसा (चंदा) कहां से आया। जनता को बताना होगा कि किस कारोबारी ने कितना चंदा दिया और किस दल को कितना चंदा मिला।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय के बाद राजनीतिक फण्डिंग में पारदर्शिता (Openness) की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये, चुनाव आयोग ने माननीय कोर्ट के निर्देशन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिये गये चुनावी बॉण्ड के विवरण सार्वजनिक कर दिये। इसके अनुसार यह पाया गया कि 25 राजनीतिक पार्टियां का 127 अरब 69 करोड 8 लाख 93 हजार रूपये दिये गये हैं। यह भी उजागर हुआ कि देश की एक कम्पनी गेमिंग-लॉटरी एवं हॉटल सर्विसेज ने सबसे अधिक 12.08 अरब के बॉण्ड की खरीद की। इसमें सबसे अधिक धन 60.68 अरब रूपये केवल बीजेपी को ही मिले। दूसरे नम्बर पर ऑल इण्डिया तृणमूल कॉंग्रेस है व तीसरे नम्बर पर कांग्रेस है जिसे 14.21 अरब रूपये गये। इस रकम के महत्व को भी इस आधार पर आप समझेंगे कि पाकिस्तान के चुनावों में 4 लाख 8 हजार करोड़ खर्चा हुआ है।

चुनाव बॉण्ड अभी-अभी जारी हुये हैं यह बात नहीं है। यह विषय 2017 से प्रारम्भ हुआ है, इस विषय पर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और कहा था कि चुनाव होने वाले हैं अतः दिनांक 30.05.2019 तक इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक पार्टियां बता दें कि उन्हें कितने बॉण्ड मिले हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने यह कहा कि इसमें जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है, वह हो रहा है, उसे चलने देवें। यह कहा गया कि तीन तलाक तो बहुत समय से चल रहा था, उसे जल्दी सुनने की क्यों जरूरत थी। इलेक्टोरल बॉण्ड के बाबत यह माना जाता है मार्च 2018 से जनवरी 2021 तक 15 फेजेज में 12924 बॉण्ड खरीदे गये जिनकी कीमत 653478 करोड थी।

इलेक्टोरल बॉण्ड के उपज भारत के यशस्वी तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली के दिमाग की उपज थी। इसके पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 183(3) में प्रावधान था कि जो कम्पनी लगातार तीन साल तक प्रोफिट में रही है वह अपने औसत लाभ का 7.5 प्रतिशत राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में डोनेट कर सकती हैं, उसके साथ यह प्रतिबंध था कि वह कम्पनी ऐसे डोनेशन के बाबत एक अलग कॉलम में बेलेंस शीट में इसकी जानकारी दे। इस व्यवस्था को अरूण जेटली ने समाप्त कर दिया, जब वे वित्त मंत्री थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इलेक्टोरल बॉण्ड के कानून के बात बजट के माध्यम से लाई गई और इसके द्वारा आयकर अधिनियम, फॉरिन रेगूलेशन अधिनियम, आर पी एक्ट, आर वी आई आदि कई कानूनों में संशोधन कर दिया और राज्यसभा को Avoid कर दिया।

वस्तुतः इलेक्टोरल बॉण्ड का कानून काले धन को खफाने का एक तरीका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे दुनियां का सबसे बडा वसूली अधिनियम कहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉण्ड के बाबत बोलते हुये कहा कि यह व्यवस्था काले धन को समाप्त करने के लिये लाई गई थी। उनका मत था कि गोपनीयता तो तब होती है जब नकद में चंदा लिया जाता है। गृहमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जब चंदे का हिसाब खुलेगा तो विपक्ष उसे Face नहीं कर पायेगा।

> **वस्तुतः इलेक्टोरल बॉण्ड का कानून काले धन को खफाने का एक तरीका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे दुनियां का सबसे बडा वसूली अधिनियम कहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉण्ड के बाबत बोलते हुये कहा कि यह व्यवस्था कालेधन को समाप्त करने के लिये लाई गई थी। उनका मत था कि गोपनीयता तो तब होती है जब नकद में चंदा लिया जाता है। गृहमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जब चंदे का हिसाब खुलेगा तो विपक्ष उसे ईम नहीं कर पायेगा।**

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की खिंचाई की है कि बैंक ने न्यायालय की अवज्ञा की है उसने पूरा डेटा आयोग को नहीं दिया। यूनिक कोड देना आवश्यक था, किन्तु बैंक ने उसे नहीं दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बहस थी कि यूनिक कोड के द्वारा ही यह पता चलेगा कि किस कम्पनी को या व्यक्ति को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी गई है।

इलेक्टोरल बॉण्ड के जो विवरण मिले हैं उनसे यह ज्ञात होगा कि कई कम्पनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी Net of Costs से बहुत अधिक राशि डोनेट की है।

राहुल गांधी के आरोपों का उत्तर देते हुये फाइनेन्स मिनिस्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि Electoral Bond (EB) व Enforcement Directorate (ED) की Raid का कोई Quid Pro Quo नहीं है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद दिनांक 17.10.2024 जो कुछ विवरण प्राप्त हुये हैं। ये विवरण भी काफी चौंकाने वाले हैं। यहां पर स्पष्ट करना समीचीन होगा कि बॉण्ड के विवरण का विषय 01.03.2018 से 11.04.2019 तथा अप्रेल 12, 2019 से 17 अप्रेल 2024 के लिये है। इस अवधि में दिनांक 17 अप्रेल, 2024 के आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को विवरण 12 अप्रेल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक को बॉण्ड्स के पूरे विवरण देने होंगे। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे विवरण का अर्थ है बॉण्ड के नम्बर और अल्फायूरेमिक नम्बर से। इसका अर्थ है कि जानकारी ऐसी होनी चाहिये जिससे यह स्पष्ट हो जावे कि बॉण्ड का डोनर कौन है और वह राशि किस राजनैतिक पार्टी को प्राप्त हुई है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः भारतीय स्टेट बैंक को स्पष्ट निर्देश दिनांक 17.03.2024 के आदेश से दिये हैं और संबंधित वांछित जानकारी 21.03.2024 को 5 बजे शाम तक देने और पूरी जानकारी दे दी गई है इसका समर्थन शपथ पत्र के माध्यम से करना होगा। अब चुनावी बॉण्ड की पूरी जानकारी प्राप्त हो जावेगी।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के एडवोकेट ने स्पष्ट किया कि उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है। यद्यपि चीफ जस्टिस ने सरकार पर कटाक्ष करते हुये कहा है कि आप जानकारी क्यों नहीं देते? क्यों कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? क्यों हमारे सब्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

अब तक जो जानकारी 17 मार्च तक सील बंद लिफाफे में दी गई है उसके खुलने से हुई है वह भी गम्भीर है। राजनीतिक पार्टियों को फण्ड प्राप्त हुआ है, किसको कितना मिला है, यह भी सामने आ चुका है। सबसे ज्यादा बॉण्ड की रकम भाजपा को मिला है। साथ ही बॉण्ड की रकम सबसे अधिक लॉटरी किंग ने दी है। डीएमके को जो एक प्रोविन्शियल पार्टी है उसे 656.5 करोड रूपये मिले हैं, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियानो मार्टिन के फ्यूजन गेमिंग से 509 करोड़ रूपये भी शामिल हैं। 11 प्रतिशत बॉण्ड तो अकेले लॉटरी किंग ने ही खरीदे हैं। तृणमूल कांग्रेस को जो एक राज्य की पार्टी है उसे 1397 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसका अर्थ है उसने यह राशि राज्य की कम्पनियों ही से प्राप्त की है। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने यह कहकर अपने दायित्व को पूरा कर दिया कि बॉण्ड्स कोई दफ्तर में बंद लिफाफे में दे गया था। जेडीयू आदि ने चंदा तो ले लिया, किन्तु दानवीर का नाम जानकारी के अभाव में नहीं बताया।

आरोप है कि ई.डी. की रेड के डर से बॉण्ड के द्वारा चंदा दिया गया है, किन्तु इसका Quid Pro Quo ढूंढना कठिन होगा। बॉण्ड लेने से पहले और बाद में ईडी की रेड हुई हैं, आप इसमें संबंध कहां ढूंढेंगे। दिनांक 21.03.2024 को बॉण्ड के नम्बर और अल्फायूरेमिक नम्बर की जानकारी भी आज दिनांक 21.03.2024 को प्राप्त हो चुकी है। बॉण्ड का पैसा सभी ने लिया है जो केन्द्र में पावर में हैं उसे अधिक मिला है, और गत वर्षों में ऐसा होता आये हैं। जिन राज्यों में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, उसे चंदा प्राप्त हुआ है। जैसा ममता के राज्य में हुआ है। ममता को बंगाल से बाहर का कोई बॉण्ड की राशि प्राप्त नहीं हुई है। हमाम के सभी नंगे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां दागी हैं। कोई बडा दागी है तो कोई छोटा। दागी तो सभी हैं। बॉण्ड से पहले भी काला धन राजनीतिक पार्टियों को आयकर अधिनियम के तहत प्राप्त होता रहा है।

बॉण्ड का युग समाप्त हुआ। क्या पुनः आयकर का पूर्व प्रावधान राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने में सहायक होगा, जिसे हम स्वयं काले धन की मशीन मान चुके हैं, और अवैध कह रहे थे। बॉण्ड के कानून ने तो स्पष्ट कर दिया, इसके तहत जो हुआ है वह ठीक नहीं है। यह चंदा कैसा, मुनाफा 2 करोड भी नहीं अपितु वह कम्पनी 183 करोड दे रहा है? कई कम्पनियों ने छापेमारी के बाद चंदा दिया है। कैसे इसमें डर की थ्योरी लागू करेंगे।

भारत के गृहमंत्री शाह कहते हैं बॉण्ड का रूपया काला धन नहीं है। 30 कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापेमारी के बाद मोटा चंदा दिया। गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं इलेक्टोरल बॉण्ड बंद होने से ब्लैक मनी की वापसी होगी।

मननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट हुआ कि चुनावी बॉण्ड पर ऊपर की ओर सीक्रेट नम्बर होता है इसे उल्टा वायॅलेट रोशनी में देखा जा सकता है इससे ही बॉण्ड खरीदने और बॉण्ड को भुनाने वाले का नाम मैच होगा। बॉण्ड कई बार हैंड ओवर हो सकता है, ऐसे में पता चलना कठिन होगा कि असल में चंदा किसे मिला। कुछ भी हो बॉण्ड की स्कीम पारदर्शिता के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है अतः इसके तहत जो भी लेन देन हुआ है वह वैध नहीं कहा जा सकता। यह एक मान्य सिद्धान्त है कि कालेधन की आय से कल्याणकारी राज्य नहीं चलाया जा सकता।

भारत संसार का सबसे बडा गणतंत्र है यहां सरकार अन्य देशों की तरह चुनाव का खर्चा वहन करना उचित नहीं मानती क्योंकि सरकार कल्याणकारी राज्य की है। फिर प्रश्न है चुनावों में पैसा कहां से आयेगा। ऐसा प्रतीत होता है अभी तक के सभी रास्ते कलेधन की ओर हमें ले जाते हैं। अतः कुछ ऐसा उपाय तलाशना होगा, जिसमें नैतिकता हो। क्या सरकार राष्ट्रपति से निवेदन कर इस मामले को दिशा निर्देशन देने के हेतु सर्वोच्च न्यायालय को रेफरेंस करा सकती है? हमारे पास अब एक ही रास्ता है, देश जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। जैसा तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 2019 में इलेक्टोरल बॉण्ड की सुनवाई के समय कहा था, यद्यपि यह कदम भी उचित नहीं है। जो देश चांद पर जाने का रास्ता ढूँढ चुका है वह ''**जिन खोजा तिन पाइये, गहरे पानी पेठ**'' के आधार पर सफलतापूर्वक सही कानून बना ही लेगा।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

शिक्षा प्रदूषण

प्रो. अशोक कुमार

वर्तमान समय में प्रदूषण दुनिया में स्वस्थ जीवन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में बात करते हैं। हम हमेशा युवाओं को स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं तो दिन-ब-दिन हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम युवाओं/आम आदमी को शिक्षित नहीं कर सके। हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है। यह मुख्य प्रश्न है, इसलिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली पर गौर करना चाहिए, जिसे हम प्रदूषित मानते हैं। प्रदूषण का क्या अर्थ है? प्रदूषण का अर्थ है मानव जीवन के प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न होना। यदि यह दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था में उत्पन्न हो जाये तो निश्चित ही हम इसे 'शिक्षा प्रदूषण' ही कहेंगे। कुल सरकारी व्यय में से शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकार के समक्ष व्यय योजना में शिक्षा के महत्व का सूचक है।

विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2021 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए शिक्षा की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट लॉन्च की। निष्कर्ष काफी हद तक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) डेटा (2018-) के विश्लेषण पर आधारित हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 1.2 लाख एकल-शिक्षक स्कूल हैं, जिनमें से 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यूपी में 3.3 लाख, बिहार में 2.2 लाख, बंगाल में 1.1 लाख स्कूलों में शिक्षण पदों पर सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं। 21 प्रतिशत में स्कूल में सबसे ज्यादा एकल शिक्षक हैं। 2021 में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार देश में 11 लाख रिक्त पदों में से 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों का अनुपात प्रतिकूल है। संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा में विशेष शिक्षा पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, स्कूल में पूर्व प्राथमिक के 7.7 प्रतिशत, प्राथमिक के 4.6प्रतिशत, उच्च प्राथमिक के 3 प्रतिशत और माध्यमिक के 0.8 प्रतिशत शिक्षक कम योग्य हैं।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत को मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए 11.16 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का अनुपात 2013-14 में 21प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 35 प्रतिशत हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह निर्धारित करता है कि छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) कक्षा 1-5 में 30:1 और उच्च ग्रेड में 35:1 होना चाहिए। डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी: पूरे भारत में स्कूलों में कंप्यूटिंग उपकरणों (डेस्कटॉप या लैपटॉप) की कुल उपलब्धता 22 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों (43 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम प्रावधान (18 प्रतिशत) देखा जाता है। पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19 प्रतिशत है – ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14 प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्रों में 42 प्रतिशत है।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धिः प्राथमिक विद्यालयों के लिए, यह 2001 में 81.6 से बढ़कर 2018-19 में 93.03 हो गया है और 2019-2020 में 102.1 हो गया है। जीईआर शिक्षा के किसी दिए गए स्तर में नामांकित छात्रों की संख्या है, उम्र की परवाह किए बिना, शिक्षा के समान स्तर के अनुरूप आधिकारिक स्कूल-आयु आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। 2019-20 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल प्रतिधारण 74.6 प्रतिशत और माध्यमिक शिक्षा के लिए 59.6 प्रतिशत है। माध्यमिक शिक्षा का भी बुरा हाल है। 13 भारतीय राज्यों के 780 सरकारी स्कूलों में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, प्रमुख सुविधाएं (शौचालय/पेयजल सहित) ज्यादातर गायब या खराब स्थिति में पाई गईं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि जब आरटीई अधिनियम ने पर्याप्त बुनियादी ढांचे की मांग की, तो 5 प्रतिशत से भी कम स्कूलों में अधिनियम में उल्लिखित सभी सुविधाएं थीं।

राजस्थान पुलिस ने एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक के लिए कथित तौर पर फर्जी विवरण देने के आरोप में एक सरकारी संस्थान के कुलपति और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। संस्थान के शीर्ष पदों का चयन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा । वर्तमान समय में देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति समय पर नहीं हो पाती है। चयन प्रक्रिया में खामियाँ तब उजागर होती हैं जब नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, गबन, रिश्वत लेने आदि के आरोप में कुलपतियों को या तो निलंबित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है।

यह भी आरोप लगाया जाता है कि नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को भारी रिश्वत दी जाती है। मेरा मानना है कि कुलपति के चयन की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी होनी चाहिए। क्योंकि देश भर के विश्वविद्यालयों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी प्रतिष्ठा और लंबे इतिहास वाले सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को 'देशद्रोही गतिविधियों' को बढ़ावा देने वाले स्थानों के रूप में लक्षित किया जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों को 'राष्ट्र-विरोधी' स्थान घोषित करना, जिन्होंने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार लगातार शीर्ष राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) स्कोर और रैंकिंग प्राप्त की है।

दुर्भाग्य से, अधिकांश मामलों में हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में भी उचित योग्य शिक्षक नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 6,549 फैकल्टी के पद खाली हैं। उनमें से अधिकांश दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, जहां 900 रिक्त पद हैं, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 622 पद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 532 पद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 498 पद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 326 रिक्त संकाय पद हैं। खासकर निजी संस्थान में शिक्षकों का शोषण भी होता है। न्यूनतम शिक्षक और छात्रों का अधिकतम नामांकन। सेल्फ फाइनेंस संस्थानों में शिक्षकों की स्थिति काफी दयनीय है। कई राज्यों में स्व-वित्तपोषण संस्थानों के लिए कोई अधिनियम नहीं है। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियम में यह प्रावधान है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ यूजीसी मानदंडों: नियुक्ति की विधि, वेतनमान द्वारा विनियमित की जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र में यह अफवाह फैल रही है कि उम्मीदवार अपनी नियुक्ति के लिए बहुत सारा पैसा (रिश्वत) लगाते हैं। मैंने एक युवा से इसके बारे में पूछा, तो पता चला कि वेतन की राशि केवल 15 से 20 हजार है, कभी-कभी कागज पर वेतन यूजीसी मानदंडों के अनुसार होता है, लेकिन वेतन यूजीसी मानदंडों के अनुसार नहीं दिया जाता है और साथ ही, धन्यवाद डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रबंधन द्वारा एक एटीएम कार्ड तैयार किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा एटीएम के माध्यम से वांछित राशि की निकासी कर ली जाती है। धन के उपयोग को लेकर संस्था प्रमुख और प्रबंधन के बीच हमेशा अनबन बनी रहती है। कोविड-19 के दौरान निजी संस्थानों ने छात्रों को पहले वर्ष में पढ़ाए/नामांकित किए बिना ही सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश दे दिया जाता था, प्रबंधन द्वारा प्रथम वर्ष की पूरी फीस ही ले ली जाती थी। यह अविश्वसनीय है लेकिन सच है कि ऐसी कई एजेंसियां हैं जो सिर्फ डिग्री के लिए छात्रों का नामांकन कर रही हैं। ये एजेंसियां रिकॉर्ड के लिए शिक्षण/गैर-शिक्षण संकायों का प्रबंधन भी कर सकती हैं।

मैं कोचिंग संस्थानों में शामिल होने वाले छात्रों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी चिंता कहीं अधिक गंभीर और मौलिक है, वह यह है कि छात्र खुद को नियमित कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं, लेकिन अपने संस्थानों में कक्षाओं में भाग लेने के बजाय वे डमी स्कूलों या निजी कोचिंग कक्षाओं में जाते हैं। समय। क्या हम सिर्फ संस्थान में दाखिला लेने और कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने के लिए नियमित छात्रों को मुफ्त/सब्सिडी वाली शिक्षा और छात्रवृत्ति दे रहे हैं?

– प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
वैदिक विश्वविद्यालय निंबहारा,
निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर,
अध्यक्ष आईएसएलएस,
प्रिसिडेंट सोशल रिसर्च फाउंडेशन, कानपुर

बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला संपन्न, करीब 38 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे

परम्परा के अनुसार द्वादशी को सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के शिखर बंध पर चढ़ाया गया।

मेला समापन पर भक्तगण श्याम बाबा से कामना करते हुये।

खाटूश्यामजी, (निसं)। आस्था, भक्ति, सेवा, उत्साह, उल्लास, मस्ती, आनन्द की अपार अनुभूति के साथ आयोजित विश्व विख्यात खाटूधाम के बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले का औपचारिक समापन द्वादशी गुरुवार को हुआ। ग्यारह दिवसीय वार्षिक महोत्सव में करीब 38 लाख श्याम श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। हालांकि प्रशासनिक रूप से मेले का समापन हो गया लेकिन भक्तों का तांता लगातार बना हुआ है जो होली तक चलेगा।

गौरतलब है कि बाबा श्याम के वर्षों से आ रहे ऐसे हजारों श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार में होली खेलकर अपने गंतव्य को लोटते हैं। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए अनवरत आ रहे श्याम भक्तों का सिलसिला गुरूवार को भी लगातार बना रहा। श्याम भक्त कतारों में श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय के जयकारों से वातावरण को श्याममय करते हुए आगे बढ़ते नजर आए तथा बाबा श्याम का दीदार कर मन्नत मांगते दिखे। इस ग्यारह दिवसीय मेले में आए श्याम भक्त बाबा श्याम से दुबारा खाटू नगरी में बुलाते रहने की अभिलाषा के साथ अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। साथ ही मन से कहते रहे म्हानै भूल बिसर मत ज्या ज्यों जी सांवरिया सरकार....के साथ विदा हुए।

वर्षों से चली आ रही परम्परा के अनुसार द्वादशी को सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के शिखर बंध पर चढ़ाया। सूरजगढ़ का यह निशान विगत 376 वर्षों से आ रहा है। द्वादशी को थानाधिकारी राजाराम ने मय जाब्ता सुरक्षा के साथ निशान को शिखर बंध पर चढ़वाया। यह निशान वर्षभर बाबा श्याम के शिखर बंध पर लहराता है।

> ■ **प्रशासनिक रूप से मेले का समापन हो गया, लेकिन भक्तों का तांता लगातार बना है जो होली तक चलेगा**
>
> ■ **बाबा श्याम के शिखर बंध पर सूरजगढ़ का निशान चढ़ाया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्याम बाबा के दर्शन किये**

गौरतलब है कि यह जत्था सूरजगढ़ से पैदल सफेद निशान जिस पर नीले घोड़े पर श्याम बाबा बना होता है, लेकर आते हैं तथा अपने गंतव्य को भी पैदल ही लौटते हैं। सूरजगढ़ के निशान के साथ सादूलपुर विधायक मनोज न्यांगली भी मौजूद रहे।

बाबा श्याम के फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी का महत्व है। बाबा श्याम की स्तुति में भी बाबा श्याम की फाल्गुन शुक्ल द्वादशी का उल्लेख होता है कि फाल्गुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होय, बाबा के दरबार से खाली जाय ना कोय,। बाबा श्याम के आने वाला भक्त फाल्गुन में झोली भरकर जाता है।

वहीं द्वादशी को भक्तजन व स्थानीय लोग चूरमा, खीर का भोग लगाकर मन्नत मांगते हैं। बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के दौरान द्वादशी के दिन गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने असम के मुख्यमंत्री का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि फाल्गुन मेले के दौरान पहली बार आने का अवसर मिला। यहां मेले का अलग नजारा है। लाखों श्याम भक्तों के लिए जो श्री श्याम मंदिर कमेटी व प्रशासन ने व्यवस्था की है वो सराहनीय है।

सीएम बिस्वा के साथ खंडेला विधायक सुभाष मील भी साथ रहे। बाबा श्याम के लक्खी मेले में पिछले दस दिन से रूके श्याम भक्त अपने गंतव्य से जाने से पहले बाजार में खरीददारी करते नजर आए। कस्बे में राजस्थानी सूखी सब्जी, केर सांगरी, आचार, चूर्ण, राजस्थानी चूड़िया, प्रसाद, फोटो फ्रेम, बंधेज के कपड़े इत्यादि की दुकान पर प्रवासी भारतीय दिनभर खरीददारी करते नजर आए।

राशिफल शुक्रवार 22 मार्च, 2024

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, मघा नक्षत्र रात्रि 4:28 तक, धृति योग सांय 6:38 तक, कौलव करण सांय 6:01 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मीन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कुम्भ, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 4:28 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 4:28 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:03 तक, लाभ-अमृत 8:03 से 11:04 तक, शुभ 12:34 से 2:04 तक, चर 5:05 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:32, सूर्यास्त 6:35

मेष

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

मिथुन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

सिंह

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कुंभ

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।